प्रेषक,

लाल मणि यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। **लखनऊ : दिनांक 18 मई, 2026**

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से जनपद-बलरामपुर, बलिया व मऊ की कुल-20 परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5361/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2019-20-वाल्यूम-2, दिनांक 19.03.2026, पत्र संख्या-5649/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2019-20-वाल्यूम-2, दिनांक 19.03.2026, पत्र संख्या-5650/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2019-20-वाल्यूम-2, दिनांक 19.03.2026, पत्र संख्या-4713/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2019-20-वाल्यूम-2, दिनांक 04.02.2026 एवं पत्र संख्या-4714/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2019-20-वाल्यूम-2, दिनांक 04.02.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ **है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत क्रमंश: वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत** शासनादेश संख्या-18/2024/1970/69-1-23-1769002, दिनांक 18.01.2024 **द्वारा जनपद-बलरामपुर** की 04 परियोजना हेतु रू0 147.66 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 75 प्रतिशत अर्थात रू0 110.745 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय/अन्तिम किश्त की **धनराशि रू0 36.615 लाख (रूपये छत्तीस लाख इक्सठ हजार पॉच सौ मात्र), वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत** शासनादेश संख्या-145/2025/460/69-1-25-1903970, दिनांक 17.03.2025 **द्वारा जनपद-बलिया** की 05 परियोजना हेतु रू0 129.52 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 64.76 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय/अन्तिम किश्त की **धनराशि रू0 64.05 लाख (रूपये चौंसठ लाख पॉच हजार मात्र), वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत** शासनादेश संख्या-158/2025/524/69-1-25-1907477, दिनांक 21.03.2025 **द्वारा जनपद-बलिया** की 09 परियोजना हेतु रू0 222.37 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 111.185 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय/अन्तिम किश्त की **धनराशि रू0 109.855 लाख (रूपये एक करोड़**

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट **https://shasanadesh.up.gov.in** से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

नौ लाख पचासी हजार पॉच सौ मात्र), वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-04/2025/2298/69-1-24-1879112, दिनांक 08.01.2025 **द्वारा जनपद-मऊ** की 01 परियोजना हेतु रू0 26.64 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 13.47 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त परियोजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय/अन्तिम किश्त की **धनराशि रू0 13.46 लाख (रूपये तेरह लाख छियालिस हजार मात्र) एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत** शासनादेश संख्या-232/2023/1711/69-1-23-46(मु0अ0-37)/2023, दिनांक 28.11.2023 **द्वारा जनपद-मऊ** की 01 परियोजना हेतु रू0 18.17 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत अर्थात रू0 7.268 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त परियोजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय/अन्तिम किश्त की **धनराशि रू0 10.622 लाख (रूपये दस लाख बासठ हजार दो सौ मात्र) कुल रू0 234.602 लाख (रूपये दो करोड़ चौंतीस लाख साठ हजार दो सौ मात्र)** की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

<u>कार्य का विवरण</u>

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत	सेंटेज सहित निविदा की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि	द्वितीय/ अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (कॉलम 6-7)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	**बलरामपुर**	**न0पा0प0 बलरामपुर**	मो० भगवतीगंज में मेन रोड से प्रवीन गुप्ता के घर होते हुये पानी की टेकी से रवि गुप्ता के मकान होते हुये उतरौला रोड तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	38.4200	38.3100	28.8150	9.4950
2	**बलरामपुर**	**न0पा0प0 बलरामपुर**	मो० खलव वार्ड न0 12 में अजीत त्रिपाठी के घर से लड्डू तिवारी के घर होते हुये रामजनक पाण्डेय के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	25.3400	25.2500	19.0050	6.2450
3	**बलरामपुर**	**न0पा0प0 बलरामपुर**	वार्ड बस स्टेशन में अनिल सिंह के मकान से बलरामपुर बहराइच मार्ग से भारत टेलर के दुकान होते हुये महुआ	52.0400	52.0200	39.0300	12.9900

----

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट **https://shasanadesh.up.gov.in** से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

			कोठी के पास रोडवेज तिराहे तक सी०सी० रोड का निमार्ण।				
4	**बलरामपुर**	**न0पा0प0 बलरामपुर**	मो० पहलवारा में ननकऊ सिंह के घर से दीपू गुप्ता के घर होते हुये देवराज सिंह के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	31.8600	31.7800	23.8950	7.8850
			योग	**147.6600**	**147.3600**	**110.7450**	**36.6150**

<u>कार्य का विवरण</u>

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	**जनपद का नाम**	**निकाय का नाम**	**बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।**	**परियोजना की कुल लागत**	**सेंटेज सहित निविदा की धनराशि**	**प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि**	**द्वितीय/ अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (कॉलम 6-7)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	**बलिया**	**न0पा0प0 बलिया**	वार्ड न0 15 में राजेन्द्र ओझा के घर से हीरा तिवारी के घर तक सी०सी० सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	**32.3100**	**32.1300**	**16.1550**	**15.9750**
2	**बलिया**	**न0पा0प0 बलिया**	वार्ड न019 में कमलाकान्त के घर से शारदा देवी के घर होते हुए जगत दूबे के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	**33.0100**	**32.8300**	**16.5050**	**16.3250**
3	**बलिया**	**न0पा0प0 बलिया**	वार्ड न0 07 मो० हरपुर में कीनू मिश्रा के घर से अशोक पाण्डेय के घर होते हुए उमेश दूबे के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य	**14.8800**	**14.8000**	**7.4400**	**7.3600**
4	**बलिया**	**न0पा0प0 बलिया**	वार्ड न0 15 टैगोर नगर में मुन्ना गुप्ता के घर से बनारसी चौरसिया व अप्पू मिश्रा के घर होते हुए नित्यानन्द तिवारी के घर के आगे तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।	**20.6800**	**20.5600**	**10.3400**	**10.2200**

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट **https://shasanadesh.up.gov.in** से सत्यापित की जा सकती है।

5	बलिया	न0पा0प0 बलिया	वार्ड न0 12 में आश्रय गृह के आगे से अभय मिश्रा जी के घर होते हुए इूडा बलिया के कार्यालय तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	28.6400	28.4900	14.3200	14.1700
			योग	**129.5200**	**128.8100**	**64.7600**	**64.0500**

<u>कार्य का विवरण</u>

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत	सैंटेज सहित निविदा की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि	द्वितीय/ अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (कॉलम 6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बलिया	न0पा0प0 बलिया	वार्ड न0 13 में लल्लन चौधरी के मकान से सुभाष यादव व जितेन्द्र के मकान होते हुए नवीन यादव (सभासद) के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	21.8900	21.7500	10.9450	10.8050
2	बलिया	न0पा0प0 बलिया	वार्ड न0 17 में मुन्ना जी के मकान से कैलाश गिरि हंस जी व संगीता के मकान होते हुए विनोद वर्मा के मकान तक कवर्ड नाली व रेगीन इण्टरलॉकिग रोड का निर्माण कार्य।	25.0900	24.9500	12.5450	12.4050
3	बलिया	न0पा0प0 बलिया	वार्ड न0 12 में सेठ कालोनी में विश्वजीत सिंह के मकान से आशुतोष श्रीवास्तव व पप्पू सिंह के मकान होते हुए सुशिल पाण्डेय के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	33.4000	33.2200	16.7000	16.5200
4	बलिया	न0पा0प0 बलिया	वार्ड न0 13 में आनन्द नगर में दीपक राय के मकान से अमन व संजय सिंह के मकान होते	32.4800	32.3100	16.2400	16.0700

----

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

			हुए श्रीकान्त सिंह के मकान से पी०एन० सिंह के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।				
5	**बलिया**	**न0पा0प0 बलिया**	वार्ड न0 07 आवास विकास कालोनी में डॉ-एस०एन० राय के घर से भोला सिंह के घर होते हुए किरण सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	23.2500	23.0300	11.6250	11.4050
6	**बलिया**	**न0पा0प0 बलिया**	वार्ड न0 7 आवास विकास कालोनी में कैप्टन रामचन्द्र सिंह के घर से अभय सिंह के घर होते हुए विजय पाल सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	22.2500	22.1200	11.1250	10.9950
7	**बलिया**	**न0पा0प0 बलिया**	वार्ड न0 12 में दिनेश सिंह के घर से राहुल सिंह के घर होते हुए गुड्डू सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	18.4700	18.3600	9.2350	9.1250
8	**बलिया**	**न0पा0प0 बलिया**	वार्ड न0 12 हाईड्रिल कालोनी में सेतोष प्रजापति के घर से हृदय नारायण जी के घर होते हुए महवारी लाल के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	11.3800	11.3100	5.6900	5.6200
9	**बलिया**	**न0पा0प0 बलिया**	वार्ड न0 12 में जिला कारागार के सामने से गौरव तिवारी के मकान से शशी सिंह व बबलू पाण्डेय के मकान होते हुए पुलिस क्लब के पास मुख्यमार्ग तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	34.1600	33.9900	17.0800	16.9100
			योग	**222.3700**	**221.0400**	**111.1850**	**109.8550**

<u>कार्य का विवरण</u>

(धनराशि लाख रू0 में)

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट **https://shasanadesh.up.gov.in** से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत	सेंटेज सहित निविदा की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि	द्वितीय/ अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (कॉलम 6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**मऊ**	**न0पा0प0 मऊ**	वार्ड नं0 11 मुहल्ला कोल्हाड़ में बिहारी पटेल के घर से जितेन्द्र के घर तक इंटरलाकिंग का कार्य।	26.9400	26.9300	13.4700	13.4600
			योग	**26.9400**	**26.9300**	**13.4700**	**13.4600**

<u>कार्य का विवरण</u>

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत	सेंटेज सहित निविदा की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि	द्वितीय/ अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (कॉलम 6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**मऊ**	**न0पं0 मधुबन**	वार्ड नं0 08 में यूनियन बैंक उफरौली से प्रभात यादव के हाता तक नाली पटिया एवं इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	**18.1700**	**17.8900**	**7.2680**	**10.6220**
			योग	**18.1700**	**17.8900**	**7.2680**	**10.6220**

कुल धनराशि रू0 234.602 लाख (रूपये दो करोड़ चौंतीस लाख साठ हजार दो सौ मात्र)

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/69-1-17-14(31)2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्ण रूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियॉ, मानक

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट **https://shasanadesh.up.gov.in** से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. सूडा/डूडा द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जायेगा और स्वीकृत धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2027 तक व्यय हो सके।
18. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जाय और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
19. प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा का होगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** -37 **लेखा शीर्षक** 2217040510400 मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती चालू विकास योजना **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लाल मणि यादव)
उपसचिव।

संख्या एवं दिनाॅक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, प्रयागराज।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, **बलरामपुर, बलिया, मऊ।**
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
12. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

13. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

(लाल मणि यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट **https://shasanadesh.up.gov.in** से सत्यापित की जा सकती है।